

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाशि/रिफ्रे./शार्टटर्म/जयपुर/15/ 958

दिनांक: 19 सितम्बर, 2019

निदेशक,
यू.जी.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषय: दिनांक 23.09.2019 से 05.10.2019 तक Comparative Literature and Culture Studies विषय पर आयोजित रिफ्रेशर कोर्स बाबत।


सन्दर्भ : आपका पत्रांक एचआरडीसी/2019/561 दिनांक 06.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 23.09.2019 से 05.10.2019 तक Comparative Literature and Culture Studies विषय पर आयोजित रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को मनोनीत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/डॉ.)	विषय	महाविद्यालय का नाम
1	राजेन्द्र प्रसाद खीचड	हिन्दी	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर
2	लोकेन्द्र कुमार	हिन्दी	राजकीय महाविद्यालय, बांसवाडा
3	चन्द्र प्रकाश शर्मा	हिन्दी	राजकीय कला महाविद्यालय, दौसा
4	विजयलक्ष्मी शर्मा	हिन्दी	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर
5	प्रणू शुक्ला	हिन्दी	राजकीय कन्या महाविद्यालय, चौमू
6	सत्यवीर सिंह (यादव)	हिन्दी	राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली
7	नरेश कुमार वर्मा	हिन्दी	राजकीय महाविद्यालय, टोंक
8	चन्द्रकान्ता पिलवाल	हिन्दी	राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, जयपुर
9	मौन्टी मजूमदार	अंग्रेजी	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर
10	संदीप शर्मा	अंग्रेजी	राजकीय महाविद्यालय, चित्तौडगढ़
11	सुमेर सिंह	अंग्रेजी	राजकीय महाविद्यालय, चूरू
12	वैजन्ती मीणा	संस्कृत	राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर
13	रशीद मियां	उर्दू	राजकीय महाविद्यालय, टोंक
14	आशमा मसूद	उर्दू	राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर

उक्त कोर्स में उपस्थित एवं अनुपस्थित होने वाले सह/सहायक आचार्यों की सूची आयुक्तालय को भिजवाये जिससे कि अनुपस्थित रहने वाले सह/सहायक आचार्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके। उक्त कोर्स में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता आपके द्वारा देय होगा। शेष अन्य व्यय प्रतिभागियों को स्वयं के स्तर पर वहन करना होगा।


भूवदीय

संयुक्त निदेशक (अकादमिक) 19.9.19
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाशि/रिफ्रे./शार्टटर्म/जयपुर/15/ 958

दिनांक: 19 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संबंधित प्राचार्य कृपया निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-
 - दिनांक 31.12.2008 से कैरियर एडवान्समेंट स्कीम(सी.ए.एस.) के तहत सभी सह/सहायक आचार्यों को वरिष्ठ वेतनमान के लिए एक ओरियेंटेशन व एक रिफ्रेशर कोर्स, चयनित वेतनमान के लिए वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात एक रिफ्रेशर कोर्स एवं पे-बैंड IV के लिये चयनित वेतनमान के पश्चात एक रिफ्रेशर/शार्ट टर्म कोर्स करना अनिवार्य है।
 - महाविद्यालयों के जिन मनोनीत सह/सहायक आचार्यों को सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो केवल उन्हें ही कार्यमुक्त करें।
 - मनोनीत सह/सहायक आचार्यों (सी.ए.एस.के तहत पात्र)को उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए दिनांक 23.09.2019 को प्रातः 9.00 बजे निदेशक, यू.जी.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।
 - प्राचार्य मनोनीत सह/सहायक आचार्यों को समय सारिणी का समायोजन कर कार्य मुक्त करें।
 - दिनांक 01.01.2008 की गाइड लाइन की पालना करते हुये सर्विस बुक से परीक्षण कर यह सुनिश्चित करे की नामांकित सह/सहायक आचार्यों को अगली पदोन्नती के लिए कोर्स की आवश्यकता है या नहीं, उपरोक्त शर्त की पालना की व्यक्तिगत जवाब देही स्वयं प्राचार्य की होगी।
- संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे है तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्यों तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्यों द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्यों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा उन्हें एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/ कोटा/ उदयपुर/ अजमेर/ जोधपुर/ बीकानेर।
- वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कृपया आयुक्तालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (अकादमिक) 19.9.19